राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः–प.6(29)नविवि/3/04 पार्ट जयपुर, दिनांक : 04 NOV 2020

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 के पैरा संख्या–3 के खण्ड (viii) के पश्चात् नवीन खण्ड (viii-a) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :

(viii-a) – नगरीय निकाय की योजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के ऐसे मामले जिनका अवार्ड दिनांक 27.10.2005 से पूर्व जारी हो चुका था लेकिन मुआवजे को लेकर खातेदार के साथ विवाद होने से भूमि का अभी तक कब्जा नहीं लिया जा सका है और नगरीय निकाय के द्वारा ऐसी भूमियों पर योजना की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है उनमें नगरीय निकाय की स्पष्ट अनुशंषा एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार की अनुमति से 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के स्थान पर 15 प्रतिशत मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि, जैसी भी भूमि की उपलब्धता हो आवंटित की जा सकेगी। नगरीय निकायों की योजनाओं को क्रियान्विति करने हेतु यदि नगरीय निकायों द्वारा अन्य प्रकार के प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी हेतु भेजे जाते है तो सरकार उस पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम